कृषकों को तिलहनी फसल तोरिया (लाही) का निःशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने का अवसर

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित **"राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम"** के अन्तर्गत तोरिया (लाही) फसल का दो किलोग्राम मात्रा का बीज मिनीकिट निःशुल्क प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों के द्वारा आनॅलाइन आवेदन दिनांक 01.08.2025 से 15.08.2025 तक किया जायेगा, जो पूरी तरह से पारदर्शी है। आनॅलाइन आवेदन करने वाले कृषकों को बीज मिनीकिट आवेदन अवधि में प्राप्त आवेदकों के मध्य लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में आनॅलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। एक कृषक को केवल एक मिनीकिट प्राप्त हो सकेगा। चयनित कृषकों को POS मशीन के माध्यम से राजकीय कृषि बीज भण्डारों से बीज मिनीकिट वितरित कराया जायेगा। अतः इच्छुक कृषक निःशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने हेतु विभाग के पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन करें।

अपर कृषि निदेशक
(तिलहन एवं दलहन)
उत्तर प्रदेश